

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**:: मंत्रालय, महानदी भवन ::**  
**अटल नगर, जिला रायपुर-492002**

—:00:—  
//आदेश//

अटल नगर, रायपुर दिनांक 29.08.2019

क्रमांक एफ 1-90/2019/सत्रह/एक (8)::: राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक/ए.एन.एम. (महिला) को कॉलम 5 में उल्लेखित आधार पर स्थानांतरित करते हुए उनके सम्मुख कॉलम क्रमांक 4 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	शर्मिला कुशवाहा	उप स्वास्थ्य केन्द्र मोहनपुर वि०ख० रामानुजनगर, जिला सूरजपुर	मु. चिकि. एवं स्वा. अधि., जिला सरगुजा के विकल्प पर	प्रशासनिक
2	सुकेसीना कुजूर	उप स्वास्थ्य केन्द्र आरा वि०ख० जशपुर जिला जशपुर	प्रा.स्वा. केन्द्र पम्पापुर, वि.ख. प्रतापपुर, जिला सूरजपुर	प्रशासनिक
3	अमरमणी एकका	उप स्वास्थ्य केन्द्र बेलकोना वि०ख० शंकरगढ़ जिला बलरामपुर	मु. चिकि. एवं स्वा. अधि., जिला सरगुजा के विकल्प पर	प्रशासनिक
4	ममता सिंह	प्रा.स्वा. केन्द्र पम्पापुर, वि.ख. प्रतापपुर, जिला सूरजपुर	एम.सी.एच. क्लीनिक अंबिकापुर, जिला सरगुजा	प्रशासनिक
5	सुधा लकड़ा	उप स्वा० के० हरी वि०ख०, जिला बलरामपुर	उप स्वास्थ्य केन्द्र आरा वि०ख० जशपुर जिला जशपुर छ०ग०	प्रशासनिक
6	उदिसना तिकी	उप स्वा० के० नावाडीह वि०ख० कसमी जिला बलरामपुर	उप स्वा. के. पटना, जिला कोरिया	प्रशासनिक
7	श्रीमती अनुराधा जायसवाल	उप स्व. के. हरगांवा, वि.खं. शंकरगढ़, जिला बलरामपुर	उप स्वा. के. बारो, वि.खं. फरसाबहार, जिला जशपुर	प्रशासनिक
8	श्रीमती दीपा वेरोनिका टोप्पो	उप स्वा. के. खोंघरा, वि.खं. मस्तुरी, जिला बिलासपुर	मु. चिकि. एवं स्वा. अधि., सूरजपुर के विकल्प पर	प्रशासनिक
9	श्रीमती जमीता उइके	उप स्वा. के. होनहेड, वि.खं. केशकाल, जिला कोण्डागांव	उप स्वा. के. फुलपाड, वि.खं. अंतागढ़, जिला कांकेर	स्वयं के व्यय पर
10	कु. कोमल चौबे	उप स्वा. के. भैसतरा, वि.खं. व जिला गरियाबंद	मु. चिकि. एवं स्वा. अधि., जिला महासमुन्द के विकल्प पर	प्रशासनिक
11	अन्न कुमारी पन्ना	प्राथमिक स्वा० के० ओखर बिलासपुर	प्रा. स्वा. के. बिंजकोट, वि.खं. खरसिया, जिला रायगढ़	प्रशासनिक
12	कल्पना खुंटे	उप स्वा. के. छुरीखुर्द, वि.खं. कटघोरा, जिला कोरबा	एम.सी.एच. क्लीनिक कटघोरा, जिला कोरबा	प्रशासनिक
13	किरण सिंग	उप स्वा. के. करमडीहा, वि.खं. वाङ्गनगर, जिला बलरामपुर	मु. चिकि. एवं स्वा. अधि., जिला सूरजपुर के विकल्प पर	प्रशासनिक



14	धनेश्वरी मानिकपुरी	उप स्वा.के. खुटिया, विखं. लखनपुर जिला सरगुजा	मु. चिकि. एवं स्वा. अधि., जिला कोरिया के विकल्प पर	प्रशासनिक
15	श्रीमती लीनिमा नेताम	उप स्वास्थ्य केन्द्र हालमकोड़ो, विकासखण्ड अम्बागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव	खण्ड चिकि. अधि., अम्बागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव के विकल्प पर	स्वयं
16	श्रीमती कविता कौशिक	उप स्वा.केन्द्र कुरा विकासखण्ड नवागढ़ जिला बेमेतरा	मु. चिकि. एवं स्वा. अधि., जिला दुर्ग के विकल्प पर	स्वयं
17	काजल किरण नेताम	उप स्वा.के. मिरतुर विकासखण्ड भैरमगढ़ जिला बीजापुर	खण्ड चिकि. अधि., चारामा, जिला कांकेर के विकल्प पर	स्वयं
18	पुष्पा अमरिया	उप स्वा.के. सिंघाभेडी, जिला राजनांदगांव	उप स्वा. के. बिरेझर, वि.खं. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव	स्वयं

2/ संबंधित कर्मचारी को 15 दिवस के भीतर स्थानांतरित स्थल में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।

3/ संबंधित जिले के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन) का दायित्व होगा कि स्थानांतरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करें। समयसीमा में कार्यमुक्त नहीं किये जाने पर संबंधित जिले के नियंत्रक अधिकारी पर जवाबदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

4/ संबंधित जिले के नियंत्रक अधिकारी, स्थानांतरित अधिकारियों के उपस्थिति/ कार्यमुक्ति का पालन प्रतिवेदन दिनांक 12.09.2019 तक जिले की एकजाई सूची विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5/ संभाग/जिला संवर्ग (कैंडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिए कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।

6/ उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारियों में से यदि कोई वर्तमान पदस्थापना स्थल-जिला में पदस्थ न हो/सेवानिवृत्त/मृत्यु/निलंबित/संविदा हों, तो यह स्थानांतरण आदेश शून्य माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
23.8.19

(सुनील नारायणिया)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
  2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
  3. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
  4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़।
  5. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़
  6. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
  7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
  8. संबंधित सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,, छत्तीसगढ़।
  9. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला.....छत्तीसगढ़।
  10. संबंधित कर्मचारी .....
  11. प्रभारी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.), महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर की उपरोक्त आदेश को विभागीय वेवसाईट में अपलोड करने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. स्टॉक फाईल।



23.8.19

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग